भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 548

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

548. श्री मलैयारासन डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसे पूरी तरह से लागू किया गया है;

(ख) ओएनओआरसी के लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ प्राप्त करने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित, राशन कार्ड लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में ओएनओआरसी के कार्यान्वयन में किसी तकनीकी, प्रशासनिक या सम्भार तंत्र सम्बंधी चुनौतियों की पहचान की है;

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित देश भर में प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए राशन लाभों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए, सरकार द्वारा ओएनओआरसी योजना की निगरानी, मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी, जिसे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। इस तकनीक-संचालित सुधार के माध्यम से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ई-पोश) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का ही उपयोग करना होगा। घर पर रहने वाला परिवार भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्यों/संघ क्षेत्रों में पीएमजीकेएवाई के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का हिस्सा प्राप्त कर सकता है।

...2/-

(ग): ओएनओआरसी को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्बाध रूप से कार्यान्वित किया गया है और यह बिना किसी तकनीकी, प्रशासनिक या तार्किक चुनौतियों के संचालित हो रहा है।

(घ) और (ङ): ओएनओआरसी सुविधा सभी पात्र पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों हेतु बिना किसी अतिरिक्त आवश्यकता के स्वतः उपलब्ध है। इसे तमिलनाडु सहित सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिससे प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों सहित सभी लाभार्थियों के लिए राशन लाभों की निर्बाध पोर्टेबिलिटी संभव हुई है। यह प्रणाली 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को कवर करती है, जिससे वे आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता का खाद्यान्न उठा सकते हैं। आज की तिथि के अनुसार, ओएनओआरसी के तहत 195 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु में 1.93 करोड़ लेनदेन शामिल हैं, जो अंतर-राज्यीय और अंतःराज्यीय दोनों को कवर करते हैं।

(ड.): ओएनओआरसी को एक सुदृढ़ आईटी ढांचे पर विकसित किया गया है जो वर्ष 2019 में अपनी स्थापना के बाद से निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है। सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए, प्रणाली निष्पादन, प्रमाणीकरण सफलता दर, लेन-देन पैटर्न और शिकायत इनपुट का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किए गए एक नए माइक्रोसर्विस-आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करके, स्मार्ट-पीडीएस के तहत संपूर्ण पीडीएस आईटी पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जो विश्वसनीयता, मापनीयता और लाभार्थी अनुभव को और बेहतर बनाएगा।

*****